डिस्क्लेमर

आदेश संख्या 39/2021-22 के मुख पृष्ठ, प्राधिकरण के निर्णयों का सार और आदेश संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/एएआई –कालीकट/सीपी-III/2021-22

आदेश संख्या 39/ 2021-22

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (सीसीजे) के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (01.04.2021 से 31.03.2026) के लिए वैमानिक टैरिफ के निर्धारण के मामले में

जारी करने की तारीख : 11 फरवरी, 2022

ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – 110003

15. प्राधिकरण के निर्णयों का सार

अध्याय 3 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए ट्रू-अप

3.9.1 द्वितीय नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए तालिका 13 के दिए गए विवरण के अनुसार पूंजीगत परिवर्धनों को मानना।

3.9.2 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए ट्रू-अप के लिए तालिका 14 में उल्लेख किए अनुसार वैमानिक मूल्यह्रास को मानना।

3.9.3 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए ट्रू-अप के लिए तालिका 15 के अनुसार आरएबी को मानना।

3.9.4 द्वितीय नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के प्रयोजन से तालिका 18 के अनुसार गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

3.9.5 द्वितीय नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए तालिका 28 में दिए गए विवरण के अनुसार प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

3.9.6 प्राधिकरण के दिनांक 05 मार्च, 2019 के आदेश 42/2018-19 के अनुसार प्रथम और द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे द्वारा दावा किए गए भूमि पर प्रतिलाभ की अनुमति न देना।

3.9.7 द्वितीय नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए तालिका 31 के अनुसार वैमानिक राजस्व को मानना।

3.9.8 कालीकट हवाईअड्डे के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए तालिका 32 में दिए गए विवरण के अनुसार एआरआर और कमी को मानना।

अध्याय 4: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए यातायात

4.6.1 तालिका 38 के अनुसार कालीकट हवाईअड्डे के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एटीएम और यात्री यातायात को मानना।

4.6.2 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय तृतीय नियंत्रण अवधि के वास्तविक यातायात के आधार पर यातायात की मात्रा (एटीएम और यात्री) को ट्रूअप करना।

अध्याय 5 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए विनियामक परिसंपत्ति आधार और मूल्यह्रास

5.6.1 01 अप्रैल, 2021 को विद्यमान परिसंपत्तियों के सकल ब्लॉक के तालिका 48 में दिए गए विवरण के अनुसार वैमानिक और गैर–वैमानिक परिसंपत्तियों के बीच आंबटन को मानना।

5.6.2 तालिका 43 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक व्यय के पूंजीकरण को अंगीकार करना।

5.6.3 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ का निर्धारण करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर पूंजीगत व्यय को ट्र-अप करना।

5.6.4 यदि कोई भी विशिष्ट पूंजीगत परियोजना अनुमोदित पूंजीकरण की समय-सारणी के अनुसार पूर्ण/पूंजीकृत नहीं की जाती है तो परियोजना लागत के पूंजीकृत न किए गए भाग की 1% राशि को एआरआर/लक्ष्य राजस्व से घटाना (समायोजित करना)। चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय तृतीय नियंत्रण अवधि के ट्र अप के दौरान इसकी जांच की जाएगी।

5.6.5 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 49 के अनुसार मूल्यह्रास को मानना।

5.6.6 कालीकट हवाईअड्डे के लिए तालिका 50 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए आरएबी को मानना।

अध्याय 6 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रतिलाभ की उचित दर

6.6.1 कालीकट हवाईअड्डे के लिए तालिका 51 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एफआरओआर को मानना।

अध्याय 7 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति

7.5.1 भारतीय रिजर्व बैंक के सूक्ष्म आर्थिक संकेतकों संबंधी व्यावसायिक पूर्वानुमानकर्ताओं के उनहत्तरवें (69) सर्वेक्षण में दिए गए वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही और वित्त वर्ष 2021-22 की पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी तिमाहियों की मध्यम डब्ल्यूपीआई मुद्रा–स्फीति के औसत के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 4.9% मुद्रा–स्फीति को मानना।

अध्याय 8 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर–वैमानिक राजस्व

8.6.1 कालीकट हवाईअड्डे के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 57 के अनुसार गैर–वैमानिक राजस्व को मानना।

अध्याय 9 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च

9.6.1 कालीकट हवाईअड्डे के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 65 के अनुसार प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

अध्याय 10 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान

10.5.1 कालीकट हवाईअड्डे के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 68 के अनुसार कराधान को मानना।

अध्याय 11 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए भूमि पर प्रतिलाभ

116.1 तालिका 70 के अनुसार वैमानिक कार्यकलापों के लिए प्रयुक्त भूमि क्षेत्र को मानना।

11.6.2 तालिका 71 के अनुसार भूमि पर प्रतिलाभ को मानना।

अध्याय 12 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता

12.6.1 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए सेवा की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी समायोजन को न मानना।

अध्याय 13 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर)

13.6.1 कालीकट हवाईअड्डे के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 74 के अनुसार एआरआर और मुनाफे को मानना।

अध्याय 14 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक राजस्व

14.6.1 कालीकट हवाईअड्डे के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 78 के अनुसार वैमानिक राजस्व को मानना।

14.6.2 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय तृतीय नियंत्रण अवधि की वास्तविक संख्याओं के आधार पर वैमानिक राजस्व को टू-अप करना।

16 आदेश

16.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13 (1) (ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपर्युक्त निर्णयों के आधार पर प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्नक I में दर्शाए अनुसार 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक की तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर लगाई जाने वाली वैमानिक टैरिफ निर्धारित करता है। ये दरें **1 अप्रैल, 2022** से प्रभावी होगी।

16.2 वायुयान नियम, 1937 के नियम 89 के साथ पठित ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(बी) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण एतद्द्वारा वर्तमान नियंत्रण अवधि के लिए आदेश के संलग्नक-I के दर कार्ड में इंगित किए अनुसार प्रयोक्ता विकास शुल्क (यूडीएफ) की दर निर्धारित करता है। ये दरें **1 अप्रैल, 2022** से प्रभावी होगी।

16.3 इसमें निर्धारित टैरिफ उच्चतम दरें हैं और इनमें कोई भी कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवामें,

अध्यक्ष,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,
राजीव गांधी भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003

प्रतिलिपि:

1. **सचिव, नागर विमानन मंत्रालय,**
   राजीव गांधी भवन,
   सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003

2. **नागर विमानन महानिदेशालय, एआईसी जारी करने के लिए**